

स्थाई

लोक

अदालत

लखीमपुर – खीरी

संख्या: 13-2019/सोलो0अ0

दिनांक : 25-06-2019

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद में जनोपयोगी सेवाओं (यात्रियों अथवा माल के वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग से लाने व ले जाने की परिवहन सेवाएं, डाक तार या दूरभाष सेवाएं, विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति, सफाई प्रणाली, चिकित्सालय अथवा दवाखाने की सेवाएं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-ए(बी) में परिभाषित अन्य जनहित में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/घोषित जनोपयोगी सेवाएं) सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु गठित स्थाई लोक अदालत के सदस्यों के 02 पद के लिए निर्धारित मानदेय रू0 1500-00 प्रति बैठक व रू0 5000-00 प्रतिमाह वाहन भत्ता की दर पर, पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष तक की आयु सीमा, जो भी पहले हो तक के कार्यकाल के लिए ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त जनापयोगी सेवाएं प्रदान करने का काफी समय का अच्छा अनुभव प्राप्त हो का चयन किया जाना है।


ऐसे पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति जिन्हें उपरोक्त जनापयोगी सेवाएं प्रदान करने का काफी समय का अच्छा अनुभव प्राप्त हो, वह निम्नलिखित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो फोटो तथा डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखे दो लिफाफों के साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी के समक्ष दिनांक 20-7-2019 तक प्रस्तुत कर सकते हैं:-

Application (Proforma) for the post of Members, Permanent Lok Adalats

(Established under section, 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987)

(To be filled personally by the applicant)

1. Name.....
(Capital letters)
2. Father's Name/W/O.....
3. Present address :.....
.....
Mobile & Landline No.....
E-mail ID :.....
4. Occupation.....
5. Permanent Address(attach copy of address proof):.....
.....
6. Date of Birth:.....
7. Educational Qualification :.....
8. Any other special qualification / achievement, If any :.....
9. Experience in the field of the Public Utility Services /
Legal Services Institutions :.....
10. List of certificates attached



Date :
Place:

Signature of applicant

Note : Attach Photocopies of relevant papers regarding point no 5 to 8.
(Apply on the prescribed format on foolscap size paper)

HVL
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
लखीमपुर-खीरी
25-06-2019